

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

// नीलामी विज्ञप्ति (शुद्धि पत्र) //

जिला एवं सत्र न्यायालय अरेरा हिल्स भोपाल में अनुपयोगी फर्नीचर सामग्री जिनमें चेयर, अलमारी, कूलर, ए0सी0, बेंच, रैक, टेबिल, स्टूल एवं अन्य कबाड सामान आदि का विक्रय खुली नीलामी से किए जाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक जी-12747/19 दिनांक 25 जून 2019 के माध्यम से नीलामी की शर्त क्रमांक 01 लगायत 04 जारी की गई थी। उक्त विज्ञप्ति में निम्नानुसार कण्डिका क्रमांक 05 जोड़े जाने हेतु शुद्धिपत्र जारी किया जाता है :-

कण्डिका क्रमांक-05

दिनांक 06.07.2019 को दोपहर 12:00 बजे तक नीलामी के पूर्व नकद राशि रूपये 5,000/- (पांच हजार रूपये) धरोहर राशि के रूप में नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय भोपाल में जमा कराना आवश्यक होगा तथा नीलामी कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम की गई बोलीकर्ता की धरोहर राशि को छोड़कर शेष बोलीकर्ताओं की धरोहर राशि वापस कर दी जावेगी तथा अंतिम बोलीकर्ता की राशि समायोजित की जावेगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल म0प्र0